कार्यालयः मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

पत्र संख्या: 2855 /सम्पत्ति/म0वृ0वि0प्रा0/2011-12 दिनांक 20.12.11

आवंटन पत्र

सेवा में,

राधा टावर स्कीपर्स प्रा0लि0,
द्वारा श्री देवयान्सु गुप्ता,
नि0-130, बेरीपुरा, दिल्ली रोड, मेरठ ।

विषयः- राधापुरम (विस्तार) आवासीय योजना, मथुरा में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जी0एच0-04 का नीलामी द्वारा आवंटन ।

महोदय,

अत्यन्त हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि राधापुरम (विस्तार) आवासीय योजना में दिनांक 17.12.11 को नीलामी में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जी0एच0-04 क्षेत्रफल लगभग 3062 वर्ग मी0 को उच्चतम बोली रू0 11,125/- प्रति वर्ग मी0 की दर पर निम्न शर्तो के साथ आपको आवंटन की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गई है ।

उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का अनुमानित कुल मूल्य रू0 3,40,64,750/- की 10 प्रतिशत धनराशि के विरूद्ध जमा की गई धनराशि रू0 34,06,475/- को समायोजित करते हुए शेष धनराशि रू0 3,06,58,275/- तथा 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्जेज रू0 40,87,770/- अर्थात कुल धनराशि रू0 3,47,46,045/- को आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा जमा धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा समय से धनराशि जमा न करने की दशा में दण्ड ब्याज सहित ब्याज 14.75 प्रतिशत देय होगा । अवशेष 90 प्रतिशत धनराशि रू0 3,06,58,275/- की 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित छः छमाही किस्तों का विवरण निम्नवत् है :-

S.No.	DATE	PRINCIPAL	INTEREST	INSTALMENT
1	01-06-2012	4381441.00	1877819.00	6259260.00
2	01-12-2012	4649804.00	1609456.00	6259260.00
3	01-06-2013	4934604.00	1324656.00	6259260.00
4	01-12-2013	5236849.00	1022411.00	6259260.00
5	01-06-2014	5557606.00	701654.00	6259260.00
6	01-12-2014	5898009.00	361251.00	6259260.00

निम्नलिखित शर्तो के साथ आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है ।

1- भूखण्ड का प्रयोग ग्रुप हाउसिंग होगा तथा निर्माण नियमानुसार मानचित्र पास कराकर करना होगा ।
2- भूखण्ड पर बिजली पानी का कनैक्शन आवंटी को स्वंय के व्यय पर अपने नाम से लेना होगा ।
3- भूखण्ड की निर्धारित तिथि से तीन माह तक किस्त का भुगतान न करने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा । आवंटन पत्र के अतिरिक्त नियम व शर्ते ब्रोशर के अनुसार होंगी ।
4- भूखण्ड पर विक्रय विलेख/अनुबन्ध की दिनांक से शासनादेशानुसार अधिकतम पाँच वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा एवं भवन के प्रयोग से पूर्व प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
5- आवंटी को स्थानीय कर एवं प्राधिकरण/शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क स्वंय देने होंगे ।
6- कब्जा दिये जाने के समय/विक्रय विलेख के समय भूखण्ड के क्षेत्रफल में अन्तर आने पर तदनुसार अधिकतम बोली मूल्य के अनुसार धनराशि एवं फ्रीहोल्ड शुल्क जमा कराना होगा ।
7- भूखण्ड मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि (यदि कोई किस्त बकाया नहीं है तो) एवं 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड चार्जेज जमा होने के उपरान्त भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य के निर्धारित स्टाम्प लगाते हुए अनुबन्ध करा लेने के पश्चात् भूखण्ड पर कब्जा लिया जा सकेगा । समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना होगा ।
8- भूखण्ड का कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर भूखण्ड पर निर्माण कार्य किया जा सकता है । भूखण्ड का उपविभाजन मान्य नहीं होगा ।
9- सम्पूर्ण धनाराशि का भुगतान होने के उपरान्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया जा सकेगा ।
10- यदि किसी एल0ए0 वाद में किसी न्यायालय द्वारा मुआवजे में बढ़ोत्तरी की जाती है तो वह धनराशि आनुपातिक रूप से आवंटी को देनी होगी ।
11- विक्रय विलेख/अनुबन्ध पंजीकरण का सम्पूर्ण व्यय आवंटी को देना होगा ।
12- कब्जे की तिथि से नगर पालिका को कालोनी हस्तान्तरण होने तक आवंटी द्वारा प्राधिकरण को नियमानुसार रख-रखाव शुल्क देना होगा । तदोपरान्त स्थानीय निकाय द्वारा रख-रखाव शुल्क प्राप्त किया जायेगा ।

सचिव
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा ।